राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....1189, 1190/2015...........................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर बनाम् 1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाडा 2. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/08/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एम.एल.पाटौदी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2015, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलों में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा मांग राशि 20,56,556/– एवं 19,49,302/– रूपये को स्थगित नहीं किये जाने को विवादित किया गया है । उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी ने प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने के लिये कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा परिवहन के दौरान वैट 47 प्रपत्र में सारभूत तथ्य उपलब्ध होना विवादित है, उक्त आधारों पर प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी के पक्ष में होना प्रकट किया है। अतः विवादित राशि की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की है । उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का समर्थन किया है एवं स्थगन नहीं दिये जाने की प्रार्थना की है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर के आदेश के अवलोकन एवं पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात, परिवहन के दौरान वैट 47 प्रपत्र में सारभूत तथ्य उपलब्ध होने या न होने का मामला विवादित होने से प्रथम् दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना लगातार............2	

अपील संख्या ....1189, 1190/2015.............................जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर बनाम् 1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, बांसवाडा 2. अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर

अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग रूपये 20,56,556/– एवं 19,49,302/– की वसूली कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस ओदश प्राप्ति के 15 दिवस में निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के <u>तीन माह</u> में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगें।

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश सुनाया गया।

18.08.2015 (मनोहर पुरी) सदस्य | 18.8.2015 (मदन लाल) सदस्य